



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला अमरोहा
तहसील अमरोहा
आवेदन क्र० 191370030018452
प्रमाणपत्र क्र० 062193003146

जारी दिनांक 07/06/2019

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. जयश्री
श्री गुरदीप सिंह
श्रीमती मनजीत कौर
, पोस्ट- रजबपुर
च्योटीपुरा
अमरोहा
अमरोहा



उत्तर प्रदेश राज्य की जाट जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. जयश्री पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००० द्वारा संशोधित की गई है, से आन्वयित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: रेखा गानी, सीएमएस जन सेवा केंद्र

RAJESH Digitally
Signed by
CHANDRA RAJESH
CHANDRA

पद: रेखा गानी, केन्द्र प्रभारी

स्थान: 024, अमरोहा, अमरोहा, अमरोहा

दिनांक: 07/06/2019

हस्ताक्षर एवं मुहर



O=Personal,
S=Uttar
Pradesh

सहाय अधिकारी/तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित

अमरोहा, अमरोहा

दिनांक 07/06/2019

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केंद्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर एनकायड्ड रूप में उपलब्ध है। प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, मन्व्यापित किया जा सकता है।